न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 34/2019

राजस्थान सरकार जरिये श्री अब्दुल सादिक, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर।

.......प्रार्थी

बनाम

मैसर्स सन्तोष टी स्टॉल, लाखन कोटडी, दरगाह बाजार, अजमेर जरिये श्री रमेश चन्द्र साहू पुत्र श्री नवल किशोर साहू, निवासीः– अजमेर।

.......अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थितः श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर – पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 23.07.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 28.02.2019 को जिला रसद अधिकारी अजमेर (प्रथम) के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डर के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरूपयोग/घरेलू सिलेण्डर के अवैध रूप से गैस रिफिलिंग को रोकने के अभियान के तहत प्रार्थी मय संयुक्त जांच दल द्वारा अप्रार्थी के व्यवसाय स्थल की जांच करने पर अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर द्वारा चाय बनाकर ग्राहको को कीमतन विक्रय करते पाये जाने पर अप्रार्थी के व्यवसायिक स्थल से 06 घरेलू गैस सिलेण्डर

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS	TYPE
1	849201	INDANE	15.7kg	25.65 kg	9.95kg	Domestic
2	993491	INDANE	15.4kg	28.10kg	12.7kg	Domestic
3	074953	INDANE	15.8kg	17.22kg	1.42kg	Domestic
4	055748	INDANE	15.7kg	30.0kg	14.3kg	Domestic
5	082186	BHARAT GAS	15.6kg	29.2kg	13.6	Domestic
6	656218	INDANE	16.1kg	16.3kg	02kg	Domestic

एवं 07 अप्रमाणित छोटे गैस सिलेण्डर को कब्जेराज लिया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक कार्य में दुरूपयोग एवं भण्डारन कर बिक्री का व्यवसाय करना एल.पी.जी. (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) एवं खण्ड 06 का उल्लंघन है। अतः 06 घरेलू सिलेण्डर एवं 07 अप्रमाणित छोटे गैस सिलेण्डर को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर मैसर्स ख्वाजा गैस ऐजेन्सी, अजमेर के कार्मिक श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री जग्गुलाल जी, निवासीः– भांग बावडी, आशागंज, अजमेर को सुपुर्दगी में दिये गये। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्तशुदा घरेलू गैस

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

सिलेण्डर एवं अप्रमाणित गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब नोटिस प्रस्तुत किया। सुनवाई चाहने पर उपस्थित को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 28.02.2019 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग एवं अवेध भण्डारन कर बिक्री किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग एवं भण्डारन एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) एवं खण्ड 06 का उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये घरेलू एवं अप्रमाणित गैस सिलेण्डर को राजसात फरमाया जावें।

जवाब में अप्रार्थी का कथन है कि उक्त एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर से उसका कोई लेना देना नही है और न ही जब्त सिलेण्डर उसकी निजी सम्पत्ति है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण को खारिज फरमाया जावें।

हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा जवाब में ऐसे कोई आधारभूत कथन, दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के दर्ज नही किये गये है, जो प्रार्थना पत्र कथनो का खण्डन करते। वक्त जांच उनके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग एवं अवैध भण्डारन अपने व्यवसाय स्थल पर किया जाना पाया गया है। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये 06 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 07 अप्रमाणित छोटे गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त सलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 23.07.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर
अजमेर

कार्यालय जिला कलेक्टर

Scanned by CamScanner